

क्या आप उच्च विभव सप्लाई लेना चाहते हैं ?

यदि हाँ तो निम्नलिखित प्राविधानों का अनुपालन अवश्य करें –

1. विद्युत अधिष्ठापन से सम्बन्धित इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग का अनुमोदन मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी से करवायें।
2. अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से करवायें।
3. कार्यपूरक प्रमाण-पत्र, मैनुफैक्चरर्स टेस्ट सर्टिफिकेट, साईट टेस्ट रिपोर्ट तथा निरीक्षण शुल्क का कोषागार चालान आदि विद्युत सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करवा कर निरीक्षण करवायें तथा अधिष्ठापन को प्रयोग में लाने हेतु उनसे लिखित रूप से अनुमति प्राप्त कर लेवें।

उल्लेखनीय है कि विद्युत सुरक्षा विभाग के बिना अनुमति प्राप्त किये हुए उच्चविभव अधिष्ठापन को प्रयोग में लाना कानूनी अपराध है तथा इसके लिए दण्डित किया जा सकता है।